

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)
निर्णय दिनांक :- 25/11/20

मिशाल संख्या:- 1048/2021
उनवानी प्रार्थना पत्र :

उपस्थिति :- प्राप्त बनाम तहसीलदार श्री
तहसीलदार श्री

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट :: आदेश ::

प्रार्थी श्री निवासी श्री ने प्रशासन गांवों के संघ 2021 केम्प/ न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम श्री जमाबंदी सम्वत् 2077 के खाता संख्या 397 में दर्ज प्रार्थी का नाम श्री के स्थान पर श्री दुरुस्त राजस्व रिकार्ड करवाने हेतु पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण की जांच तहसीलदार श्री से कराई गई। तहसीलदार श्री ने पटवार हल्का श्री व भू0अ0नि0 श्री की रिपोर्ट सहित प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त इन्द्राज करने की अभिशंका की।

प्रार्थी उपस्थित हुआ। मजमेआम में प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बंध में जानकारी ली गई। तहसीलदार श्री से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, जिसमें प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 की धारा 369 का स्वीकार किया जाकर राजस्व गुप -6 विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक:- 4(1)राज-6/2002/19 के तहत तहसीलदार श्री को वाके ग्राम श्री जमाबंदी सम्वत् 2077 के खाता संख्या 397 में दर्ज श्री के स्थान पर श्री दुरुस्त राजस्व अभिलेख करने हेतु अनुमत किया जाता है। निर्णय/आदेश की छाया प्रति तहसीलदार श्री को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल क्तर हो।

निर्णय खुले सरे इजलास, कैम्प श्री में सुनाया गया।

श्री
उपखण्ड अधिकारी
देवली